राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस–नोट

दिनांकः– 12.09.2025

मुख्य एवं आरक्षित सूची में सफल नवीन 06 अभ्यर्थियों से ऑनलाईन विस्तृत आवेदन पत्र भरवाने के संबंध में

वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा–2024 के **विषय–संस्कृत** हेतु दिनांक 19.08.2025 को जारी आरक्षित सूची आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर घोषित की जा चुकी है। जिसमें पृथक से 06 नवीन अभ्यर्थियों को (जो कि आयोग द्वारा उक्त विषय हेतु दिनांक 07.05.2025 को जारी विचारित सूची में सम्मिलित नहीं थे) सम्मिलित किया गया है। जिनके रोल नम्बर निम्न तालिकानुसार हैः–

क्र.सं.	रोल नं.
01	2314529
02	2327903
03	**2344128**
04	2433256
05	2576050
06	2651386

उल्लेखनीय है कि उक्त विषय हेतु जारी परिणाम दिनांक 19.08.2025 के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य सूची में सफल अभ्यर्थी के अपात्र पाये जाने के कारण रिक्त हुए 01 पद के विरुद्ध आरक्षित सूची से अभ्यर्थी **रोल नम्बर–2344128** को मुख्य सूची में **मेरिट क्रमांक 62–A** पर दिनांक 03.09.2025 को संशोधित परिणाम जारी कर अस्थाई रुप से प्रतिस्थापित किया गया है।

वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा–2024 के विषय–संस्कृत की मुख्य एवं आरक्षित सूची में सफल 06 नवीन अभ्यर्थी अपने **SSO ID** के माध्यम से **Recruitment Portal** पर **My Recruitment → Detailed Form Cum Scrutiny → Apply Now** का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन भरें। ऑनलाईन विस्तृत आवेदन–पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा **दिनांक 13.09.2025 से दिनांक 14.09..2025 (रात्रि 11:59:59) तक लिंक खोला जाएगा।** ऑनलाईन विस्तृत आवेदन–पत्र भरने हेतु अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी।

इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि **विस्तृत आवेदन–पत्र एवं दस्तावेजों की जाँच संबंधित विभाग (संस्कृत शिक्षा विभाग) द्वारा ही की जाएगी।**

अतः ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिन्ट ऑप्शन पर जाकर सम्पूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 02 प्रतियों में प्रिन्ट कर अपने पास संभाल कर रखें एवं संबंधित विभाग **(संस्कृत शिक्षा विभाग)** की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन–पत्र (दो प्रतियों में) मय समस्त मूल दस्तावेजों व स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित होवें। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जाएगी। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र माना जावेगा।

(चित्रा जैनानी)
उप सचिव